

# कार्यालय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा।

—:आदेश:—

दरभंगा जिलान्तर्गत दिनांक 15.07.2016 को बाल विकास परियोजना के ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टी0एच0आर0 का वितरण किया जाना है। पाँच परियोजना यथा बेनीपुर, कुशेश्वरस्थान, तारडीह, हनुमाननगर एवं गौड़ाबौराम में राशि कि निकासी हो चुकी है। इसलिए उक्त पाँच परियोजना में दिनांक 15.07.2016 को टी0एच0आर0 वितरण होगा। शेष 14 परियोजनाओं में समय पर राशि कि निकासी नहीं होने के कारण दिनांक 22.07.2016 को टी0एच0आर0 का वितरण किया जाएगा, जिसके निरीक्षण के लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। वर्तमान में दिनांक 15.07.2016 को टी0एच0आर0 निरीक्षण के लिए निम्न रूपेण प्रखण्ड एवं अनुमण्डल के वरीय पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। जाँच पदाधिकारी आवंटित प्रखण्ड के किसी एक पंचायत में संचालित ऑगनबाड़ी केन्द्रों की जाँच निर्धारित समय अवधि (प्रातः 12:00 बजे से 04:00 बजे अपराह्न तक) में निश्चित रूप से करके जाँच प्रतिवेदन उसी दिन सायंकाल जिला प्रोग्राम कार्यालय (आई0सी0डी0एस0), दरभंगा में समर्पित करेंगे।

क्र 0	प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम	आवंटित परियोजना	बा0वि0परि0पदा0 का मोबाईल नं0
1	2	3	4
1.	1. श्री बाला कान्त पाठक, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा—सह—वरीय प्रभारी पदाधिकारी, तारडीह। 2. बा0वि0परि0 पदाधिकारी, तारडीह।	तारडीह	9431005391
2.	1. श्री अमित कुमार अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर—सह—वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बेनीपुर 2. बा0वि0परि0 पदाधिकारी, बेनीपुर	बेनीपुर	9431005380
3.	1. श्री मो0 शफीक अनुमण्डल पदाधिकारी, विरौल—सह—वरीय प्रभारी पदाधिकारी, कुशेश्वरस्थान 2. बा0वि0परि0 पदाधिकारी कुशेश्वरस्थान	कुशेश्वरस्थान	9431005388
4.	1. श्री शेख जियाउल हसन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा—सह—वरीय प्रभारी पदाधिकारी, हनुमाननगर। 2. बा0वि0परि0 पदाधिकारी, हनुमाननगर।	हनुमाननगर	9431005393
5.	1. श्री कमलेश कुमार वर्मा जिला योजना पदाधिकारी, दरभंगा—सह—वरीय प्रभारी पदाधिकारी, गौड़ाबौराम। 2. बा0वि0परि0 पदाधिकारी, गौड़ाबौराम	गौड़ाबौराम	9431005395

टेक होम राशन कार्यक्रम के तहत निम्न प्रकार लाभुकों को राशन उपलब्ध कराना है:-

- 28 कुपोषितों में प्रत्येक को 2.50 कि0ग्रा0 चावल एवं 1.00 कि0ग्रा0 दाल।
- 12 अति कुपोषितों में प्रत्येक को 4.00 कि0ग्रा0 चावल एवं 2.00 कि0ग्रा0 दाल।
- 08 गर्भवती माता में प्रत्येक को 3.00 कि0ग्रा0 चावल एवं 1.50 कि0ग्रा0 दाल।
- 08 धात्री माता में प्रत्येक को 3.00 कि0ग्रा0 चावल एवं 1.50 कि0ग्रा0 दाल।

निर्देश है कि उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्रों में संधारित टेक होम राशन से संबंधित पंजियों की भी जाँच की जाय और लाभुकों से भी संपर्क किया जाय। टी0एच0आर0 वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर लाभुकों का बयान प्रपत्र में दर्ज की जाय। संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जाँच पदाधिकारी/वरीय प्रभारी पदाधिकारी को वाहन उपलब्ध करायेंगे।

जिला पदाधिकारी  
दरभंगा।

ज्ञापांक 2122 / जि0प्र0, दिनांक 14-7-16  
प्रतिलिपि:- जाँच दल में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी/सभी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/संबंधित महिला पर्यवेक्षिका को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी  
दरभंगा।